

I/236574/2023

पत्र संख्या/एफ0टी0. 48-3957/2019(एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि०प्र०।

प्रेषित: उप महा निरीक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय),
सी०जी०ओ० काम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-1710001

दिनांक शिमला-1

विषय: **Diversion of 5.48 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kaini Bagori Shakti Dehra Tikri (Hamal Side) (KMs. 0/00 to 10/500) within the jurisdiction of Chamba Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh (Proposal No. FP/HP/Road/45519/2020)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8B/HP/06/96/2020/FC/37 दिनांक 16/04/2021 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

- 1^प वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 2^प परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 3^प **प्रतिपूरक वनीकरण:**
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपूरक पौध-रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि का खसरा नम्बर 1950/1 एवं 1951/1 है।

(ग) वन मण्डलअधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ) Penal NPV की राशी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CAMPA अकाउंट में जमा करवा ली गई है।

- 4^प प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 5^प **शुद्ध वर्तमान मूल्य:**
क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आशय की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख)शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

- 6^प राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ०सी०ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08.

I/236574/2023

- 02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
- 7^ण प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित वन भूमि पर 34 (including 28 saplings) पेड़ों का कटान किया जाएगा। बचन बढ़ता upload कर ली गई है।
- 8^ण एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- 9^ण परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA) की राशी 2881359/- ₹0, उस पर आकस्मिक व्यय की राशी 144068/-, शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की राशी 3600360/- ₹0, तथा Penal NPV Rs. 9527026/- जो कुल 16152813/-₹0 बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है।
- 10^ण प्रयोक्ता अभिकरण आई आर0 सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस आशय की वचन बढ़ता Upload कर दी गई है।
- 11^ण संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।
- 12^ण इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस आशय की वचन बढ़ता Upload कर दी गई है।
- 13^ण केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी वचन बढ़ता Upload कर दी गई है।
- 14^ण वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी वचन बढ़ता Upload कर दी गई है।
- 15^ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदूर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 16^ण संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। बचनबढ़ता की प्रति संलग्न है।
- 17^ण परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा जिसकी बचनबढ़ता की प्रति संलग्न है।
- 18^ण वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बढ़ता Upload कर दी गई है।
- 19^ण केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन बढ़ता की प्रति संलग्न है।
- 20^ण बचनबढ़ता की प्रति संलग्न है।
- 21^ण यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागू होते हो तो उनके अधिन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
- 22^ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0

I/236574/2023